6T/2016 भागवान नगा / ड्रेणा नगा

05-5-2018

05/5/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.आडेल में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत सम्मन प्राप्त हुई। वादी संख्या 2 व 3 मय वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 से 4 व 6 उपस्थित। इसकी पहचाल वकील वादी श्री डालूराम द्वारा दी गई है। वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते–वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 3 फोत की सूचना मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया और अवलोकन किया। चूंकि वादी संख्या 01 व 3 फोत हो गये है। इस कारण वादी संख्या 01 के वारिसान को रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। एवं प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान पूर्व में ही रिकार्ड पर है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर वादी संख्या 01 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान पूर्व में ही रिकार्ड पर होने के कारण वादपत्र से नाम हटाया जाता है,और संशोधित शीर्षक को रिकार्ड पर लिया जाता है। तत्पश्चात विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष द्वारा निवेदन किया गया कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। तो हमें कोई आपर्ति नहीं है।

लिहाजा वादीगण का वादं अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय एवं डिक्री और शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

भगवाना
भंवरराम
नागा
देवाराम
भैरवा
लाला
शामाराम
भगाराम
भगवाना

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अटल सेवा केन्द्र आडेल

पीठासीन अधिकारी:–...श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

वादीगण

1.तगा पुत्र रावता के वारिसान

1/1 विशनाराम पुत्र तगाराम

1/2 जमनादेवी पत्नि तगाराम

2.भंवरा पुत्र रावता

3.काना पुत्र रावता जाति दर्जी

निवासी मोड़ोलियों की ढाणी (आडेल)

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1.देवा पुत्र डूगंरा

2.बाका पुत्र डूगंरा

3.लाला पुत्र सोना

4.रेखा पुत्र सोना

5.दुर्गा पुत्र हस्ता

6.रामा पुत्र हस्ता

7.पारू पत्नि हस्ता

8.शाखा प्रबंधक मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा होडू

9.तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:–88.53.188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :–67/2016

निर्णय दिनांक :–05.5.2018

वादीगण की ओर से श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता..की व प्रतिवादी की ओर से...स्वंय .की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 05.05.2018.को. श्री अंजुम ताहिर सम्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हूए अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 05.5.2018 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना तहसीलदार सिणधरी सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हों। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05-05-18 .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

सहायक कलक्टर सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner